

संस्था का संविधान एवं युवा मंडल के उपनियमों का नमूना

संस्था का संविधान

1. संस्थान का नाम :
2. संस्थान का पंजीकृत पता :
ग्राम/शहर :
डाक घर :
मंडल/तालुका :
जिला :
राज्य :
3. कार्य क्षेत्र :
4. वर्ष :
5. उद्देश्य नमूने के तौर दिए गए हैं। :
युवा मंडल आवश्यकतानुसार कोई उद्देश्य जोड़ सकते हैं।

उद्देश्य जिनके लिए संस्था की स्थापना की गई है निम्नानुसार होंगे :

- क. संस्थान के संचालन के क्षेत्र में युवाओं के आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, शारीरिक और सामाजिक मानकों को सुधारना।
- ख. गरीबी उन्मूलन और जीवन यापन की बेहतर स्थितियां बनाने, आपसी सहयोग और सामान्यतः समाज के बीच और विशेषकर युवाओं में एकता लाना।
- ग. आकस्मिक ऐसी अन्य गतिविधियों को आरंभ करना, प्रोत्साहित और चलाने में सहायता करना जो युवाओं के व्यक्तित्व और विकास के लिए आवश्यक हों।
- घ. सभी या उपर्युक्त बातों में से किसी एक या सभी को आगे बढ़ाने का अधिकार संस्थान के पास होगा।

i. किसी भी व्यक्ति, फर्म, बैंक या स्थानीय प्राधिकरण या कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, निकायों/या किसी संस्था और/या संघ/राज्य सरकार से अंशदान, अनुदान, उपहार, गुलदस्ते मांगने, प्राप्त करने या स्वीकार करना।

– 2 –

ii. संस्था के लाभ के लिए किसी भी प्रकार की वस्तु, चल/अचल संपत्ति, किसी भी प्रकार की भूमि, भवन को उपहार, खरीद, विनिमय, किराया पर पट्टा या अन्यथा प्राप्त करने के लिए।

iii. मौजूद किसी विद्यमान भवन के ढांचे और भवन का निर्माण और रखरखाव और सुधार, विस्तार, मरम्मत या संशोधन करने सहित कार्य करना (और इसे प्रकाश, पानी, जल निकासी के साथ इसे प्रदान करने और सुसज्जित करने के लिए, फर्नीचर, फिटिंग, यंत्र, और उपकरण उपलब्ध कराना) और अन्य सभी उपयोग के लिए जरूरी चीजें जिनके लिए जो ऐसी इमारतों को रखी जानी चाहिए या होनी चाहिए।

iv. संस्थान से संबंधित (चल/अचल) संपत्ति या अन्य के बिक्री, प्रबंधन, विनिमय, बंधक, वसीयत या निपटान करना।

v. संस्थान के किसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बैंक में खातों को खोलने संचालित करने या बैंक के किसी भी प्रकार के कार्य को करना।

vi. संस्थान के किसी भी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए या प्राप्त करने के लिए समस्त कार्यों को आकस्मिक या सहायक कामों को विधिवत रूप से करना।

vii. संस्थान के लाभ का उपयोग उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जायेगा।

6. संस्थान के मामलों का प्रबंधन कार्य संस्थान के समय-समय पर दिये गये नियमों के अनुसार गठित प्रबंधन समिति को दिया जायेगा।

7. युवा मंडल के प्रशासन का कार्य गठित पहली प्रबंधन समिति करेगी। जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	व्यवसाय एवं पता(संस्थान के बाहर)
1		अध्यक्ष	
2		उपाध्यक्ष	
3		सचिव	
4		संयुक्त सचिव	
5		कोषाध्यक्ष	
6		कार्यकारी सदस्य	

7		कार्यकारी सदस्य	
8		कार्यकारी सदस्य	
9		कार्यकारी सदस्य	
10		कार्यकारी सदस्य	
11		कार्यकारी सदस्य	

8. युवा मंडल..... के मैमोरंडम के अनुसार हम, विभिन्न व्यक्ति जिनके हस्ताक्षर नीचे दिये गये हैं, गठन के लिए जिम्मेदार हैं और संस्था को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के नियम XXI के तहत पंजीकृत करवाना चाहते हैं।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	व्यवसाय एवं पता
1		अध्यक्ष	
2		उपाध्यक्ष	
3		सचिव	
4		संयुक्त सचिव	
5		कोषाध्यक्ष	
6		कार्यकारी सदस्य	
7		कार्यकारी सदस्य	
8		कार्यकारी सदस्य	
9		कार्यकारी सदस्य	
10		कार्यकारी सदस्य	
11		कार्यकारी सदस्य	